दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 31.01.2024
उच्चारण की तिथि: 07.02.2024

<u>जमानत आवेदन 76/2024</u>

संजय सिंह ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रजत भारद्वाज, मोहम्मद इरशाद, श्री हर्ष गौतम, सुश्री अंकिता एम. भारद्वाज, श्री कनिष्क राज और श्री कौस्तुभ खन्ना, अधिवक्तागण

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस. वी. राजू, अति.महा.सा. सह श्री जोहेब हुसैन, ईडी के विशेष अधिवक्ता सह श्री विवेक गुरनानी, श्री सम्राट गोस्वामी, श्री कार्तिक सभरवाल, श्री प्रांजल त्रिपाठी, सुश्री मधुमिता, सुश्री सोनाली शर्मा, श्री हितार्थ और श्री कनिष्क मौर्य, ईडी के अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय का सूचकांक</u>

मामले की पृष्ठभूमि 3

आवेदक की ओर से प्रस्तुतियाँ 5

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ 9

धन शोधन के मामलों में जमानत देने पर विधि 13

I. पीएमएलए की धारा 45 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तें: न्यायिक पूर्व निर्णय..... 14

विश्लेषण एवं निष्कर्ष 18

I. वर्तमान आवेदक के विरुद्ध साक्ष्य 18

इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा का बयान 18

साक्षी रमन चावला का बयान..... 20

हरिंदर सिंह नरूला और अर्ला चंदन रेड्डी के बयान..... 20

कॉल विवरण स्थान चार्ट विश्लेषण 21

2020-21 दिल्ली शराब नीति में आवेदक की भूमिका 22

II. क्या आवेदक इस आधार पर जमानत का हकदार है कि वह अनुसूचित अपराध में अभियुक्त नहीं है? 24

III. पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों की स्वीकार्यता और साक्ष्यिक मूल्य..... 28

IV. इस स्तर पर इकबाली साक्षी के बयान की अवहेलना के तर्क के संबंध में निष्कर्ष 30

इकबाली साक्षी के साक्ष्य पर विधि 31

इस मामले में इकबाली साक्षी के बयान पर विचार..... 33

V. न्यायालय विधि से बंधा हुआ है, और किसी भी याचिकाकर्ता की स्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता 38

निष्कर्ष 39

<u>न्या. स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (*'दं.प्र.स.'*) की धारा 439 की सहपठित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (*'पीएमएलए'*) की धारा 45 और 65 के तहत वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक श्री संजय सिंह पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत पंजीकृत ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/एचआईयू-II/14/2022 से उत्पन्न मामले में नियमित जमानत की मांग करते हैं।

<u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

2. वर्तमान मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (*'सी. बी. आई.'*) द्वारा दर्ज विशेष अपराध मामले के संबंध में दर्ज किया गया है। दिनांक 17.08.2022 को, सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (*'भा.दं.स.'*) की धारा 447क की सह पठित धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (*'पीसी एक्ट'*) की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों हेतु एक एफआईआर अर्थात

आरसी0032022क0053 दर्ज की गई थी, यह प्राथमिकी रा.रा.क्षे.दि. के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 20.07.2022 को की गई शिकायत और भारत सरकार के गृह मंत्रालय (*'एमएचए'*) के निदेशक द्वारा दिनांक 22.07.2022 के पत्र के माध्यम से दिए गए सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों और कुछ स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर वर्ष 2021-2022 के लिए रा.रा.क्षे.दि. की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में दर्ज की गई थी। सीबीआई ने दिनांक 25.11.2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसका संज्ञान विद्वान विचरण न्यायालय ने 15.12.2022 को लिया था। इसके बाद, दिनांक 25.04.2023 और दिनांक 08.07.2023 को, कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ क्रमशः दो पूरक आरोपपत्र भी विद्वान विचरण न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे। सीबीआई का मामला यह है कि जब रा.रा.क्षे.दि. की आबकारी नीति निर्माण या प्रारूपण के चरण में थी, तब अभियुक्त व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके तहत नीति में जानबूझकर कुछ खामियां छोड़ी गईं या बनाई गईं, जिनका बाद में उपयोग या दोहन किया जाना था। इसके अलावा, कथित अपराधों में शामिल लोक सेवकों को अग्रिम रूप से रिश्वत के रूप में भारी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया गया और शराब व्यापार में शामिल षड्यंत्रकारियों को अनुचित आर्थिक लाभ के बदले में भुगतान किया गया। जैसा कि आरोप लगाया गया है, दक्षिण भारत के शराब व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा अभियुक्त विजय नायर, श्री मनीष

सिसोदिया और दिल्ली में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों तथा षडयंत्र में शामिल अन्य लोक सेवकों को लगभग 20-30 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत दी गई थी तथा पाया गया कि ये रिश्वत बाद में एल-1 अनुज्ञप्ति धारी थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन से और एल-1 अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा दक्षिण शराब लॉबी से संबंधित खुदरा क्षेत्र अनुज्ञप्ति धारियों (एल-7जेड) को जारी किए गए क्रेडिट नोटों के माध्यम से उन्हें वापस कर दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि आपराधिक षडयंत्र के परिणामस्वरूप, उक्त नीति के तीन घटकों अर्थात शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच प्रावधानों और शराब नीति की भावना का उल्लंघन करके एक कार्टेल बनाया गया था, और सभी षड्यंत्रकारियों ने उक्त आपराधिक षडयंत्र के अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और उक्त षडयंत्र में शामिल लोक सेवकों और अन्य अभियुक्तों को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ।

3. वर्तमान ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/एचआईयू-II/14/2022 पंजीकृत की गई, क्योंकि पीसी अधिनियम की धारा 120ख और धारा 7 के तहत अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहली अभियोजन शिकायत 26.11.2022 को दायर की गई थी और विद्वान विचरण न्यायालय द्वारा 20.12.2022 को संज्ञान लिया गया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने विद्वान

विचरण न्यायालय के समक्ष 06.01.2023, 06.04.2023, 27.04.2023 और 04.05.2023 को चार अनुपूरक अभियोजन शिकायतें दायर की थीं।

4. हालांकि, वर्तमान आवेदक को वर्तमान मामले के संबंध में 04.10.2023 को गिरफ्तार किया गया था और 05.10.2023 को विद्वान विचरण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके द्वारा उसे 05.10.2023 और 10.10.2023 के आदेशों के तहत पांच दिन और तीन दिन की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसके बाद, वर्तमान आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और वर्तमान में वह दिल्ली के तिहाड़ स्थित केंद्रीय जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 02.12.2023 और 19.12.2023 को विद्वान विचरण न्यायालय के समक्ष अनुपूरक शिकायतें दायर की हैं।

5. आवेदक द्वारा नियमित जमानत दिए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

<u>आवेदक की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने तर्क दिया कि आवेदक दिनांक 04.10.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह तर्क

दिया गया है कि पीएमएलए की धारा 19 के अनुसार, संबंधित अधिकारी के पास 'कब्जे में सामग्री' होनी चाहिए और उक्त अभिव्यक्ति को स्टर्लिंग गुणवत्ता और निर्विवाद चरित्र के विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य तक संकुचित, परिगत और सीमित किया जाना चाहिए और इसके आधार पर, "विश्वास करने के कारण" अभिलिखित रूप में दर्ज किए जा सकते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का "दोषी" है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से वर्तमान आवेदक के खिलाफ चार साक्षियों के बयानों पर भरोसा कर रहा है, जिनके बयान संदिग्ध हैं क्योंकि उक्त बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं और विधि के अनुसार, साक्षियों के बयानों की सत्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को केवल श्री दिनेश अरोड़ा, जो कि इकबाली साक्षी बन गया है, के प्रकटीकरण कथन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तथा उसे 03.10.2023 को क्षमा प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कथन विरोधाभासी हैं, तथा इस प्रकार, न्यायालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें भौतिक विवरणों की पुष्टि नहीं है, तथा सह-अभियुक्त से इकबाली साक्षी बने श्री दिनेश अरोड़ा के स्पष्ट तथा दोषपूर्ण कथनों के अलावा जांच एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्षियों के कथनों में अनेक संस्करण

तथा विरोधाभास हैं, तथा वर्तमान आवेदक की गिरफ्तारी के लिए केवल सह-अभियुक्त से इकबाली साक्षी बने श्री दिनेश अरोड़ा के कथनों पर निर्भर रहना अन्यायपूर्ण, अनुचित तथा मनमाना है। यह कहा गया है कि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने अपने दसवें और ग्यारहवें बयान में ऐसे आरोप लगाए थे, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भी दर्ज किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक को जुलाई, 2023 में दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद ही फंसाया गया है और ऐसे बयान प्रवर्तन निदेशालय सहित एक व्यवस्था के तहत दिए गए हैं।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक या उसके लोगों को 2 करोड़ रुपए दिए जाने के बारे में लगाए गए झूठे और तुच्छ आरोपों का उल्लेख विधेय अपराध में नहीं किया गया है और विधेय अपराध में इसके अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त राशि अपराध की आय है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्षकार की इस कहानी को संबंधित सह-अभियुक्त समीर महंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली के बयानों से भी कोई पुष्टि नहीं मिलती है, जिनसे कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की उपरोक्त राशि प्राप्त हुई है या यह उन राशियों का हिस्सा है जो उन्होंने या तो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा को भुगतान की थी या उनसे वसूली गई थी। यह तर्क दिया गया है कि कथित अपराध की आय की सटीक मात्रा की न तो पहचान की गई और न ही

आवेदक से बरामद की गई। इन परिस्थितियों में, अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की मांग की गई ताकि पैसे का पता लगाया जा सके, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी के पास कोई 'कब्जे में सामग्री' नहीं थी, जिससे यह 'विश्वास हेतु कारण' दर्ज किए जा सकें कि आवेदक पीएमएलए के तहत अपराध का 'दोषी' है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्षकार के मामले में तथ्यों, घटनाओं और आरोपों को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि आवेदक को दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर संभावना, अनुमान, धारणा या विश्वास के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि एक सह-अभियुक्त है। इसके अतिरिक्त, दिनेश अरोड़ा के बयानों पर भरोसा करना जोखिम से भरा है और किसी भी परिस्थिति में पीएमएलए की धारा 19 के तहत आवेदक के अपराध का निष्कर्ष निकालने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक को केवल पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने हेतु अनिवार्य दोहरी शर्तों की पूर्ति के अनुसरण में जमानत को बढ़ाया जा सकता है, और जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक ऐसे अपराध का दोषी है। हालांकि, पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता वर्तमान आवेदक को जमानत देने के लिए तस्वीर में नहीं आती है क्योंकि आवेदक के खिलाफ कथित सबूतों से भी यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्षकार पीएमएलए की धारा

45 के तहत दोहरी शर्तों की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक आधार तैयार करने में विफल रहा है क्योंकि ऐसा कोई उचित आधार नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों और एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह साबित होता है।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप कि दिनांक 18.06.2020 को वर्तमान आवेदक के कहने पर एक समझौता ज्ञापन (*'एमओयू'*) तैयार किया गया था, पूरी तरह से झूठे और तुच्छ हैं। दिलचस्प बात यह है कि कथित एमओयू पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और इस प्रकार यह जांच एजेंसी द्वारा तैयार किया गया मनगढ़ंत साक्ष्य है और इस पर वर्तमान जमानत आवेदन पर फैसला करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि श्री माथुर ने तर्क दिया है।

11. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान आवेदक का नाम सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न तो दर्ज है और न ही उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। आवेदक से अपराध की कोई आय या अन्य आपत्तिजनक वस्तु या पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, जो प्रत्यर्थी द्वारा उसके कब्जे या उसके निवास से प्राप्त किया गया हो। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक को नियमित जमानत प्रदान की जाए।

<u>प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

12. दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (अति.महा.सा.) श्री एस.वी. राजू ने वर्तमान जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि धन शोधन के मामले में किसी अभियुक्त को जमानत देना पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों के रूप में प्रतिबंध और कठोरता के अधीन है। यदि आवेदक न्यायालय को यह संतुष्ट करने में विफल रहता है कि आवेदक अपराध का दोषी नहीं है या जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, तो उसका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान आवेदक *दिल्ली शराब घोटाले* में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा सहित कई अभियुक्तों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। आवेदक ने अवैध धन/रिश्वत भी प्राप्त की है जो आबकारी नीति 2021-22 घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है। श्री एस. वी. राजू द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी द्वारा आवेदक के खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य उसे 2 करोड़ रुपए की सीमा तक अपराध की आय से जोड़ते हैं, और इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को 2 करोड़ रुपए तक की अपराध आय प्राप्त हुई है, जिसे रमन चावला नामक व्यक्ति द्वारा आवेदक को 1-1 करोड़

रुपए की दो किस्तों में दिया गया था, और यह बात पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में राममम चावला द्वारा विधिवत रूप से कही गई है। अभिलेख पर उपलब्ध उक्त बयान और अन्य सामग्री के अनुसार, उपरोक्त राशि सह-अभियुक्त सर्वेश मिश्रा को दी गई थी, जिसे आवेदक के साथ पांचवें अनुपूरक अभियोजन शिकायत के माध्यम से आरोप-पत्रित किया गया था, और सर्वेश मिश्रा ने पहले वर्ष 2022 में आवेदक के निजी सहायक के रूप में काम किया था और वह आवेदक का करीबी सहयोगी है। आवेदक को दो अलग-अलग मौकों पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और यह राशि 3 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए की राशि का हिस्सा थी, जिसे विजय नायर के कहने पर इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने दक्षिण शराब लॉबी से उपरोक्त रिश्वत या अग्रिम किकबैक के हिस्से के रूप में एकत्र किया था और इस प्रकार, उक्त राशि निश्चित रूप से अनुसूचित अपराध मामले की आपराधिक गतिविधियों के कमीशन से संबंधित अपराध की आय है। रमन चावला के उपरोक्त बयान, पीएमएलए की धारा 50 के तहत हरिंदर सिंह और अर्ला चंदन रेड्डी जैसे अन्य साक्षियों के बयानों के साथ-साथ, दं.प्र.सं. की धारा 164 और पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के बयानों से मेल खाते हैं और रमन चावला और सह-अभियुक्त सर्वेश मिश्रा के मोबाइल फोन के मौके के नक्शे सहित सीडीआर के रूप में एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्य से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क

दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए के उपरोक्त दोनों भुगतान साक्षी रमन चावला द्वारा आवेदक के नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर किए गए थे और इस साक्षी का उक्त मौके के स्थान पर होना, साथ ही एक ऐसी किस्त की डिलीवरी के समय सह-अभियुक्त सर्वेश मिश्रा का मौके के स्थान पर होना उसके दावों की पुष्टि करता है।

14. विद्वान अति.महा.सा. ने आगे तर्क दिया कि आवेदक पूर्व आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण में निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में भी शामिल रहा है, क्योंकि जांच के दौरान यह पता चला है कि वर्तमान आवेदक ने अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के कहने पर आईएमएफएल ब्रांडों के लिए ब्रांड पंजीकरण मानदंड बढ़ाने के लिए 2020-21 की प्रस्तावित आबकारी नीति में श्री मनीष सिसोदिया के माध्यम से बदलाव करने का आश्वासन दिया था। इसके बदले में वर्तमान आवेदक के एक सहयोगी अर्थात विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा की व्यावसायिक संस्था अर्थात मेसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी दी गई थी। कहा गया है कि विवेक त्यागी पिछले 10 वर्षों से आवेदक का करीबी सहयोगी रहा है। विद्वान अति.महा.सा. ने आगे तर्क दिया कि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार, आवेदक द्वारा इस आशय का एक समझौता ज्ञापन दिनांक 18.06.2020 भी तैयार किया गया था। उक्त एमओयू पिछली आबकारी नीति से संबंधित था, लेकिन इसे वर्ष 2021-22 की

आगामी आबकारी शराब नीति को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया था और इसे क्रियान्वित करने की कोशिश की गई थी, जो जांच के अधीन है और वर्तमान अभियोजन का विषय है। यह तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान उपरोक्त एमओयू बरामद किया गया था और हालांकि कुछ कारणों से इसे निष्पादित नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ साक्षियों और अभियुक्तों, जिनमें इकबाली साक्षी भी शामिल है, द्वारा एमओयू की तैयारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दिए गए बयानों के रूप में पर्याप्त मौखिक साक्ष्य हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आवेदक उपरोक्त आबकारी नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल था और उपरोक्त फर्म में हिस्सेदारी प्राप्त करने या देने के रूप में कुछ रिश्वत या किकबैक के भुगतान के खिलाफ हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी शर्तों को तय कर रहा था।

15. विद्वान अति.महा.सा. ने आगे तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ साक्षियों द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और उन्हें इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है और इस पर इस न्यायालय को विचार करना होगा क्योंकि वर्तमान आवेदन जमानत देने के लिए है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयानों से उच्च स्तर पर हैं और बयानों की विश्वसनीयता पर इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है, जो कि विचारणीय मामला है। यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही

आवेदक का नाम अनुसूचित अपराध के मामले की एफआईआर में न हो या उक्त मामले में आरोप-पत्र न हो, लेकिन चूंकि धन शोधन का मामला एक अलग अपराध है, इसलिए वर्तमान आवेदक पर सीबीआई के अनुसूचित अपराध मामले में उसकी संलिप्तता या अभियोजन से स्वतंत्र रूप से उक्त अपराध के लिए अभियोजन या विचारण किया जा सकता है।

16. विद्वान अति.महा.सा. द्वारा यह भी जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि वर्तमान आवेदक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि आवेदक प्रश्नों से बच रहा है और आवेदक ने जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र में की गई स्पष्ट वास्तविक टंकण संबंधी त्रुटि के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की धमकी देकर जांच अधिकारी को डराने की भी कोशिश की है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया जाए।

17. इस न्यायालय ने अभियुक्त/आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. श्री एस.वी. राजू द्वारा दिए गए तर्क सुने हैं। दोनों पक्षकारगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी अध्ययन किया गया है तथा उस पर विचार किया गया है।

<u>धन शोधन के मामलों में जमानत देने की विधि</u>

18. धन शोधन के मामले में जमानत पर विचार करने के उद्देश्य से, पीएमएलए की धारा 45 प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:

> "45. अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना
>
> (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-
>
> (i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई हेतु आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है; और
>
> (ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय को विश्वास है कि **यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है** और यह **कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:**
>
> बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या महिला है, या बीमार या अशक्त है, या जिस पर अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक करोड़ रुपए से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोप है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है:
>
> इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धारा 4 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि लिखित रूप में निम्नलिखित द्वारा शिकायत न की गई हो-
>
> (i) निदेशक; या

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

(1क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के होते हुए भी, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है।

स्पष्टीकरण --संदेहों को दूर करने हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति "अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना" का अर्थ यह होगा और इसका हमेशा यही अर्थ समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कोई प्रतिकूल बात निहित हो, और तदनुसार इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।"

(जोर दिया गया)

I. पीएमएलए की धारा 45 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तें: न्यायिक पूर्व निर्णय

19. पीएमएलए की धारा 45(1) में उन दोहरी शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें धन शोधन के मामले में किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, पीएमएलए की धारा 45 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों की संतुष्टि पर ***विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ*** *2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929* के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो नीचे उद्धृत हैं:

> "387. ऐसा कहने के बाद, अब हमें 2018 के संशोधन के बाद लागू होने वाली दोहरी शर्तों को चुनौती देने पर विचार करना चाहिए। उस चुनौती का परीक्षण उसके अपने गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि 2002 अधिनियम की अनुसूची के भाग क के तहत तीन वर्ष से अधिक कारावास की अवधि के लिए केवल दंडनीय अपराधों पर लागू, इस न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था) घोषित करने हेतु दिए गए कारणों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब, दोहरी शर्तों वाला प्रावधान (धारा 45) 2002 अधिनियम के तहत अपराध पर ही लागू होगा। 2018 संशोधन के बाद का प्रावधान, धन शोधन के अपराध के संबंध में जमानत न देने की प्रकृति का है, जब तक कि दोहरी शर्तें पूरी न हो जाएं। ये दो शर्तें हैं कि यह मानने हेतु उचित आधार हैं कि अभियुक्त धन शोधन के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। **2002 अधिनियम के रूप में विधि के प्रयोजन और उद्देश्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रति की गई प्रतिबद्धता और उनकी सिफारिशों के आधार पर इसे जिस पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया था, उस पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि यह देशों की संप्रभुता और अखंडता सहित वित्तीय प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव डालने वाली धन शोधन गतिविधियों के**

विषय से निपटने के लिए एक विशेष कानून है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए, धन शोधन की रोकथाम और धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए 2002 के अधिनियम में कड़े उपाय किए गए हैं, जिनमें अपराध की आय की कुर्की और जब्ती तथा अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्तियों पर वाद चलाना शामिल है। **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाली मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के परिणामों की गंभीरता को देखते हुए, रोकथाम और विनियमन के लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक कानून बनाया गया है, जिसमें शामिल व्यक्ति पर वाद चलाना भी शामिल है, जिसमें अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग वर्ग में रखा गया है। मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध को "दुनिया भर में" अपराध का एक गंभीर रूप माना जाता है। इसलिए, यह अपराध का एक अलग वर्ग है जिसके लिए मनी-लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी और कड़े उपायों की आवश्यकता होती है।"**

* * *

400. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदान की गई दोहरी शर्तें, हालांकि अभियुक्त के जमानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 45 के तहत प्रदान की गई शर्तें जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है जो मनमाना या तर्कहीन नहीं है बल्कि न्यायिक है, जो 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत दिए गए कानून के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

* * *

401. हम *रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा* मामले में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत हैं। **जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के गुणागुण पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है तथा केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय का दृष्टिकोण अपेक्षित है। न्यायालय अभियुक्त के दोष का पता**

लगाने के लिए साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करेगा, जो कि निश्चित रूप से विचरण न्यायालय का काम है। न्यायालय को केवल जांच के दौरान एकत्रित उचित सामग्री के आधार पर संभाव्यता के आधार पर अपना दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है और विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोष या दोषमुक्ति के अपने निष्कर्ष को दर्ज करते समय विचरण न्यायालय द्वारा उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जैसा कि *निम्मगड्डा प्रसाद* में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, 2002 अधिनियम की धारा 45 में प्रयुक्त शब्द "विश्वास करने हेतु उचित आधार" है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्षकार को उचित संदेह से परे आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है।"

(जोर दिया गया)

20. ***तरुण कुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** *2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1486* के मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"17. जैसा कि अब तक तय हो चुका है, **धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। इनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।** यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है कि जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के

> अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य विधि पर पी.एम.एल. अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत जमानत हेतु किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा।"
>
> (जोर दिया गया)

21. इस प्रकार, पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की **जमानत** पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को दोष का पता लगाने के उद्देश्य से **लघु विचारण करने की आवश्यकता नहीं** है, बल्कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री की जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

I. वर्तमान आवेदक के खिलाफ साक्ष्य

इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा का बयान

22. यह न्यायालय ध्यान देता है कि वर्तमान मामले में, श्री दिनेश अरोड़ा का बयान दिनांक 14.08.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रकटीकरण किया है कि उन्होंने अपने कर्मचारी रमन चावला के

माध्यम से वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित आवास पर सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए, प्रत्येक बार 1 करोड़ रुपए दिए थे। इस न्यायालय ने नोट किया कि यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, एक बार अगस्त, 2021 में और दूसरी बार मार्च-अप्रैल, 2022 के बीच। उन्होंने आगे कहा कि 2 करोड़ रुपए की यह राशि समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली से अर्थात उनसे प्रत्येक से 1 करोड़ रुपए प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थी। इस प्रकार, उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के लिए 2 करोड़ रुपए नकद, श्री संजय सिंह के करीबी सहयोगी सर्वेश मिश्रा को दिए गए थे, जो उनके साथ उनके आधिकारिक आवास पर रहते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह पैसा उन्हें विजय नायर के निर्देश पर दिया गया था। बयान में आगे स्पष्ट किया गया है कि, चूंकि यह पैसा विजय नायर के कहने पर दिया गया था, इसलिए उन्हें विजय नायर का फोन आया था और उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए श्री संजय सिंह से मुलाकात की थी। उनकी बातचीत के माध्यम से, उन्हें पता चला था कि श्री संजय सिंह जानते थे कि 2 करोड़ रुपए की यह राशि दिल्ली आबकारी नीति का पैसा है।

23. इसके अतिरिक्त, श्री दिनेश अरोड़ा ने विशेष रूप से खुलासा किया है कि उन्हें अगस्त और अक्टूबर, 2021 के बीच सह-अभियुक्त समीर महेंद्रू से 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जो 1 करोड़ रुपए की किश्तों में समीर महेंद्रू ने खान

मार्केट, दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपी थी, जबकि अन्य 1 करोड़ रुपए एक मध्यस्थ के माध्यम से दिल्ली के हौज खास में उनके कार्यालय में पहुंचाए गए थे। 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उनके कर्मचारी रमन चावला ने समीर महेंद्रू के दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय से एकत्र की। दिनेश अरोड़ा ने आगे खुलासा किया कि प्राप्त 3 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल के लिए नरेंद्र भास्कर नामक व्यक्ति को विजय नायर के कहने पर हस्तांतरित किए गए, जो श्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शेष 1 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के आवास पर सर्वेश मिश्रा को दी गई।

24. इसी तरह, श्री दिनेश अरोड़ा ने आगे खुलासा किया है कि मार्च और अप्रैल 2022 में, फिर से विजय नायर के निर्देशों के तहत, जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे, उन्होंने सह-अभियुक्त अभिषेक बोइनपल्ली से 4 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जिसका उद्देश्य पार्टी की निधियों का अपयोजन करना था। दिनेश अरोड़ा के बयान के अनुसार, उन्होंने चंदन रेड्डी नामक व्यक्ति के साथ समन्वय किया था, जिसने इन लेन-देन में अभिषेक बोइनपल्ली की सहायता की थी। दिनेश अरोड़ा ने अभिषेक बोइनपल्ली के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से 2 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जबकि अन्य 2 करोड़ रुपए उनकी ओर से हरिंदर सिंह नरूला नामक व्यक्ति ने एकत्र किए थे। इस राशि में से, हरिंदर नरूला ने विजय नायर के आवास पर 3

करोड़ रुपए पहुंचाए थे, और 1 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के लिए रमन चावला के माध्यम से सर्वेश मिश्रा को दी गई थी।

साक्षी रमन चावला का बयान

25. दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी अर्थात रमन चावला का बयान 16.08.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने प्रकटीकरण किया था कि उसने ओखला, दिल्ली में इंडोस्पिरिट्स के कार्यालय से 1 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जिसका मालिक सह-अभियुक्त समीर महेंद्रू है। यह नकदी उसे दिनेश अरोड़ा के निर्देश पर मिली थी और उसके बाद उसके निर्देश पर रमन चावला ने अगस्त, 2021 में वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई थी। उसने खुलासा किया था कि श्री संजय सिंह के आवास पर पहुंचने पर उसने सर्वेश मिश्रा से संपर्क किया था और सर्वेश ने किसी को सामने के गेट से पैसे लेने के लिए भेजा था। उसने आगे प्रकटीकरण किया था कि मार्च-अप्रैल 2022 में फिर से दिनेश अरोड़ा ने उसे फोन किया था और उसे वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के आवास पर सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए की अन्य राशि पहुंचाने का निर्देश दिया था।

हरिंदर सिंह नरूला और अर्ला चंदन रेड्डी के बयान

26. अभिषेक बोइनपल्ली से 4 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त करने के दिनेश अरोड़ा के दावों के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि अन्य साक्षियों के बयान दिनेश अरोड़ा द्वारा जांच एजेंसी को दिए गए बयान की पुष्टि करते हैं। हरिंदर सिंह नरूला ने 07.08.2023 को दर्ज अपने बयान में प्रकटीकरण किया कि मार्च-अप्रैल 2022 में दिनेश अरोड़ा ने उन्हें अभिषेक बोइनपल्ली के दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी स्थित कार्यालय में जाकर चंदन रेड्डी नामक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए लेने का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे प्रकटीकरण किया कि दिनेश अरोड़ा के निर्देशानुसार उन्होंने अभिषेक बोइनपल्ली के कार्यालय से राशि एकत्र की थी और उसे दिल्ली के हौज खास स्थित दिनेश अरोड़ा के कार्यालय में पहुंचा दिया था। इसी तरह, एक अन्य साक्षी चंदन रेड्डी ने 22.11.2023 को दिए अपने बयान में अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देशानुसार मार्च/अप्रैल 2022 में दिनेश अरोड़ा को 4 करोड़ रुपए नकद उपलब्ध कराने की पुष्टि की।

27. इस प्रकार, हरिंदर सिंह नरूला और ई. चंदन रेड्डी के बयान प्रथम दृष्टया विजय नायर के निर्देश पर अभिषेक बोइनपल्ली से 4 करोड़ रुपए नकद प्राप्त करने के दिनेश अरोड़ा के दावे का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि इस राशि में से, 1 करोड़ रुपए वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह को उनके करीबी सहयोगी सर्वेश मिश्रा के माध्यम से दिए गए थे।

कॉल डिटेल लोकेशन चार्ट विश्लेषण

28. जांच एजेंसी ने साक्षी रमन चावला और सर्वेश मिश्रा के मोबाइल फोन नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन चार्ट के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इन अभिलेखों से संकेत मिलता है कि एक विशिष्ट समय पर, दोनों फोन नंबर दिनांक 17.08.2021 को वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के आधिकारिक आवास के निकटतम टावर के नीचे पाए गए थे, जब कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की एक किस्त दिनेश अरोड़ा द्वारा अपने कर्मचारी रमन चावला के माध्यम से वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह को उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचाई गई थी, जिसमें उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा ने मदद की थी।

2020-21 की दिल्ली शराब नीति में आवेदक की भूमिका

29. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रतिउत्तर में पूर्व आबकारी नीति अर्थात वर्ष 2020-2021 की नीति तैयार करने में वर्तमान आवेदक की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय इस पर विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है। फिर भी, चूंकि वर्तमान मामला अनिवार्य रूप से नई आबकारी नीति तैयार करके अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के बीच साजिश रचने के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए 2020-21 की शराब नीति के संबंध में आवेदक के खिलाफ आरोपों का संक्षिप्त अवलोकन करना प्रासंगिक होगा।

30. धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज अपने बयान के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 164 (5) के तहत बयान में, दिनेश अरोड़ा ने मौके का वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने 2020-2021 की पुरानी आबकारी नीति के संबंध में वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह से मुलाकात की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्होंने श्री संजय सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की थी और विशेष रूप से उस बैठक का वर्णन किया था जो श्री संजय सिंह के आवास पर अमित अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी आदि के साथ हुई थी। श्री संजय सिंह के साथ उक्त बैठक में अमित अरोड़ा ने शराब के अपने व्यवसाय की योजना और आबकारी नीति में एक खंड को बदलने के बारे में बताया था, जो उनके और उनके व्यवसाय के अनुकूल था। यहीं पर श्री संजय सिंह ने इस शर्त पर कि उनके करीबी विवेक त्यागी, जो बाद में उनके संसदीय सहायक बन गए, को अमित अरोड़ा के साथ शराब के कारोबार में साझेदार बनाया जाए। दिनेश अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री संजय सिंह ने उन्हें और अमित अरोड़ा को श्री मनीष सिसोदिया के घर बुलाया था और श्री संजय सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार श्री सिसोदिया ने 2020-2021 की आबकारी नीति में इस खंड को बदलने पर सहमति व्यक्त की थी। इस संबंध में एक एमओयू तैयार किया गया था, विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के साथ व्यापारिक साझेदार भी बनाया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि आबकारी नीति

में बदलाव के बाद अमित अरोड़ा अपने वचन का सम्मान करेंगे और चूंकि दिनेश अरोड़ा अमित अरोड़ा पर भरोसा नहीं करते थे। किसी कारण से, यह नीति कारगर नहीं हुई और नई नीति 2021-2022 अस्तित्व में आई।

31. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा और साक्षी अंकित गुप्ता के बयानों से भी होती है, जिन्हें पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया है।

32. इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक पुरानी आबकारी नीति की तैयारी का हिस्सा था और उसके बाद, सह-अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई, जिन्हें वर्तमान आवेदक और सह-अभियुक्तों तथा संबंधित पक्षकार को उनके अनुकूल तैयार की गई आबकारी नीति के कारण उत्पन्न लाभ से रिश्वत देनी थी और ऐसे विशिष्ट कथन हैं कि श्री संजय सिंह के लिए उनके सरकारी आवास पर सर्वेश मिश्रा को उनके अनुकूल बनाई गई नई आबकारी नीति के बदले में 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था और उनके लिए लाभ उत्पन्न किया गया था, इस स्तर पर आवेदक की भूमिका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। दिनेश अरोड़ा, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा, विजय नायर, श्री सिसोदिया, श्री संजय सिंह आदि के बीच बैठकों और बातचीत के समय, स्थान और तरीके के साथ विशिष्ट आरोपों को इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

II. क्या आवेदक इस आधार पर जमानत का हकदार है कि वह अनुसूचित अपराध में अभियुक्त नहीं है?

33. वर्तमान आवेदक/अभियुक्त संजय सिंह की ओर से उठाए गए प्राथमिक तर्कों में से एक यह है कि उनका नाम सीबीआई के अनुसूचित अपराध मामले की एफआईआर में नहीं था, और उन्हें उक्त मामले में आरोप-पत्र नहीं दिया गया है।

34. इस संबंध में, यह न्यायालय नोट करता है कि इसी तर्क पर पहले ही विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 के विवादित आदेश में विस्तार से विचार किया जा चुका है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायिक पूर्व निर्णय पर विचार करने के बाद यह पाया कि किसी व्यक्ति का धन शोधन मामले में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए अनुसूचित अपराध मामले में अभियुक्त के रूप में नामित होना कोई पूर्वापेक्षा नहीं है। बल्कि, यह आवश्यक है कि पीएमएलए की धारा 3 की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए एक अनुसूचित अपराध किया गया हो और उस अपराध से संबंधित अपराध की आय उत्पन्न हुई हो। सत्र न्यायालय ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के लिए अनुसूचित अपराध का होना आवश्यक है, लेकिन धन शोधन के अभियुक्त व्यक्ति के लिए हमेशा अनुसूचित अपराध में भी अभियुक्त होना अनिवार्य नहीं है। यह न्यायालय विद्वान सत्र न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत है, क्योंकि वे माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक पूर्व निर्णय के अनुरूप हैं।

35. ***विजय मदनलाल चौधरी*** *(पूर्वोक्त)* में माननीय शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि धन शोधन का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है और इसका अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है, सिवाय उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की गई आय के; और पीएमएलए की धारा 5(1) का दायरा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित अभियुक्तों तक सीमित नहीं है। संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

> "269. 2002 अधिनियम की धारा 3 की भाषा से यह स्पष्ट है **कि धन शोधन का अपराध, अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है, जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न या प्राप्त किया गया था।** प्रक्रिया या गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है - चाहे वह अपराध की आय को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना हो या फिर उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना हो या ऐसा होने का दावा करना हो। इस प्रकार, अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना धन शोधन का अपराध माना जाएगा। **इस अपराध का अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है - सिवाय उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की गई आय के।**
>
> * * *
>
> 295. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस पृष्ठभूमि में 2013 का संशोधन अधिनियम 2 अस्तित्व में आया। संशोधित प्रावधानों के आशय तथा क्रियान्वयन/प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, धन शोधन की रोकथाम से संबंधित तंत्र को मजबूत करने के लिए और अधिक परिवर्तन आवश्यक हो गए। यह मान लेना सही नहीं है कि संशोधित दूसरे

परंतुक के तहत संपत्ति (अनंतिम) की कुर्की का अनुसूचित अपराध से कोई संबंध नहीं है। चूंकि धारा 5(1) में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसी कार्रवाई केवल प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर ही शुरू की जा सकती है, जो किसी व्यक्ति के पास अपराध की आय होने का संकेत देती हो। अपराध की आय होने की पूर्व शर्त यह है कि संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या प्राप्त की गई हो। धारा 5(1) का दायरा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित अभियुक्तों तक सीमित नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति (जरूरी नहीं कि वह अनुसूचित अपराध में अभियुक्त हो) पर लागू होगा, यदि वह अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। ऐसा व्यक्ति अनंतिम कुर्की आदेश के परिणाम का सामना करने के अलावा, 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत में अभियुक्त के रूप में नामित हो सकता है।"

36. उपरोक्त अनुपात को दोहराते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में भी निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"15. ...इसके अतिरिक्त, जैसा कि विजय मदनलाल (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, **अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है, जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न या प्राप्त किया गया था।** धन शोधन का अपराध उस तारीख पर निर्भर या जुड़ा नहीं है जिस दिन अनुसूचित अपराध या विधेय अपराध किया गया है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस दिन व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति की किसी भी आपराधिक

> गतिविधि जैसे कि अपराध की आय को छिपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना, यहाँ तक कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना, अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध माना जाएगा।"

37. हाल ही में, ***पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** *2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1586* के मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में अभियुक्त के रूप में दिखाया गया हो। संबंधित टिप्पणियां नीचे उद्धृत की गई हैं:

> "17. पीएमएलए की धारा 3 पर पुनः लौटते हुए, इसे सरल भाषा में कहें तो, धारा 3 के अंतर्गत अपराध, अनुसूचित अपराध के बाद किया जा सकता है। **उदाहरण के लिए, आइए हम ऐसे व्यक्ति का मामला लें जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता करता है या जानबूझकर अपराध की आय का उपयोग करने में सहायता करता है। उस मामले में, उसे पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है।** एक ठोस उदाहरण देते हुए, आईपीसी की धारा 384 से 389 के अंतर्गत "जबरन वसूली" से संबंधित अपराध पीएमएलए की अनुसूची के पैराग्राफ 1 में शामिल अनुसूचित अपराध हैं। कोई अभियुक्त आईपीसी की धारा 384 से 389 के अंतर्गत आने वाले जबरन वसूली का अपराध कर सकता है और धन उगाही कर सकता है। इसके बाद, जबरन वसूली के अपराध से जुड़ा कोई व्यक्ति जबरन वसूली की आय को छिपाने में उक्त अभियुक्त की सहायता कर सकता है। ऐसे मामले में, जबरन वसूली के अपराध की आय को छिपाने के लिए अनुसूचित अपराध में अभियुक्त की सहायता करने वाला व्यक्ति धन

शोधन के अपराध का दोषी हो सकता है। **इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया हो।** विजय मदनलाल चौधरी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 270 में जो कहा गया है, वह उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्व शर्तें यह हैं कि अनुसूचित अपराध होना चाहिए तथा पीएमएलए की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (प) में परिभाषित अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय होनी चाहिए।

18. किसी मामले में, यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन पक्षकार सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर देता है या सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर देता है या अनुसूचित अपराध की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, तो अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं रहेगा, और इसलिए, पीएमएलए की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी पर वाद नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं होगी। इस प्रकार, ऐसे मामले में, जिस अभियुक्त के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई है, वह सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त या आरोपमुक्त करके अनुसूचित अपराध समाप्त होने से लाभान्वित होगा। इसी तरह, उसे अनुसूचित अपराध की कार्यवाही को रद्द करने का लाभ मिलेगा। **हालांकि, पीएमएलए मामले में कोई अभियुक्त जो अनुसूचित अपराध के बाद अपराध की आय को छिपाने या उपयोग करने में सहायक के रूप में सामने आता है, उसे अनुसूचित अपराध में अभियुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क कि अनुसूचित अपराधों में दायर आरोपपत्रों में अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था, खारिज किए जाने योग्य है।"**

(जोर दिया गया)

38. इसके अतिरिक्त, दलीलों के दौरान, प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अति.महा.सा. ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत दिनांक 13.11.2023 को एक पत्र के माध्यम से इस मामले के तथ्यों के बारे में जांच के बारे में जानकारी पहले ही सीबीआई को दे दी थी और साझा कर दी थी। इसके अलावा, सीबीआई ने ईडी को दिनांक 22.12.2023 को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा साझा की गई जानकारी को पूर्ववर्ती अपराध मामले में अतिरिक्त जांच हेतु अभिलेख पर ले लिया गया है।

39. इसलिए, इस स्तर पर, इस न्यायालय को इस तर्क में कोई गुणागुण नहीं दिखती है कि यहां आवेदक को अनुसूचित अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया गया है।

III. पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य

40. इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा, साक्षियों रमन चावला, हरिंदर सिंह नरूला और ई. चंदन रेड्डी, साथ ही सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा और साक्षी अंकित गुप्ता के बयान, पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान हैं।

41. पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों की स्वीकार्यता के संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि ***रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय,*** *(2018) 11 एससीसी 46* के मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने माना है कि इस तरह के बयान प्रकृति में स्वीकार्य हैं और धन शोधन के अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में एक मजबूत मामला बना सकते हैं। माननीय शीर्ष न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस निम्नानुसार है:

> "31. ...अभियोजन पक्षकार पहले से दर्ज 26 साक्षियों/अभियुक्तों के बयानों पर भरोसा कर रहा है, जिनमें से 7 पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचार किया था। **ये बयान 2002 के अधिनियम की धारा 50 को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। इससे अपीलार्थी के धन शोधन के गंभीर अपराध में शामिल होने का एक मजबूत मामला बनता है। इसलिए, हमारे लिए यह संतुष्टि दर्ज करना संभव नहीं है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलार्थी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है...**"
>
> (जोर दिया गया)

42. माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***विजय मदनलाल चौधरी*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में पीएमएलए की धारा 50 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों की तुलना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयानों से नहीं की

जा सकती है और ऐसे बयान भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

43. माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***तरुण कुमार*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में भी उपरोक्त कानूनी प्रस्तावों को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दोहराया:

> "15. हमारी राय में, श्री लूथरा के उक्त निवेदन में शायद ही कोई बल है। रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में, तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि साक्षियों/अभियुक्तों के बयान उक्त अधिनियम की धारा 50 के मद्देनजर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और ऐसे बयानों से धन शोधन के गंभीर अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में एक मजबूत मामला बन सकता है....."

44. अभियुक्त की जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के वर्तमान चरण में, जबकि वाद अभी शुरू नहीं हुआ है, इस न्यायालय को जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री पर विचार करना होगा, जिसमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज **साक्षियों** के बयान शामिल हैं, और माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान अभियुक्त के खिलाफ धन शोधन का एक मजबूत मामला बना सकते हैं।

IV. इस चरण में इकबाली साक्षी के बयान की उपेक्षा करने के तर्क के संबंध में निष्कर्ष

45. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इकबाली साक्षी का बयान ही एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य है तथा यह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाने हेतु बनाया गया है, इकबाली साक्षी जो अन्यथा सह-अभियुक्त है, जिसे बाद में इकबाली साक्षी बनने के बाद क्षमा प्रदान की गई, के बयान को विधि का संदर्भ लिए बिना निपटाया नहीं जा सकता। इस संबंध में, यह न्यायालय इकबाली साक्षी के संबंध में विधि का संदर्भ देता है।

इकबाली साक्षी के साक्ष्य पर विधि

46. इकबाली साक्षी की अवधारणा और इकबाली साक्षी की परिसाक्ष्य के साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, पहले उक्त मुद्दे से निपटने वाले विधि के वैधानिक प्रावधानों की जांच करना आवश्यक होगा। धारा 133 सहित धारा 114 के उदाहरण (ख) में, निश्चित रूप से, विधि को इस मुद्दे पर शामिल किया गया है। इन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **"खंड 133. सह-अभियुक्त -** एक सह-अभियुक्त अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम साक्षी होगा; और एक दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह एक सह-अभियुक्त के अपुष्ट परिसाक्ष्य पर आगे बढ़ती है।"

खंड 114 का उदहारण (ख)

(ख) न्यायालय यह मान सकता है कि एक सह-अभियुक्त विश्वास के योग्य नहीं है, जब तक कि वह भौतिक विवरणों में पुष्ट न हो जाए।"

47. ***भुबोनी साहू बनाम किंग*** के मामले में प्रिवी काउंसिल ने, जिसे *1949 एससीसी ऑनलाइन पीसी 12* के रूप में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"भारत में सह-अभियुक्तगण के साक्ष्य से संबंधित कानून इस प्रकार है: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले ही, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने ***आर. बनाम इलाही बख्श (1866) 5 डब्ल्यू.आर. (सीआर) 80*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह-अभियुक्तगण के साक्ष्य से संबंधित कानून भारत में इंग्लैंड के कानून समान ही है। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, जो धारा 133 के तहत यह अधिनियमित करता है कि:

"सह-अभियुक्त, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा; और केवल इसलिए दोषसिद्धि अवैध नहीं है क्योंकि यह एक सह-अभियुक्त की अप्रमाणित परिसाक्ष्य पर आगे बढ़ती है।"

हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के उदाहरण (ख) में यह प्रावधान है कि:

"न्यायालय यह मान सकता है कि कोई सह-अभियुक्त तब तक विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके बारे में भौतिक विवरण में पुष्टि न हो जाए।"

इन दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़ते हुए, भारत में न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि किसी सह-अभियुक्त के अपुष्ट साक्ष्य पर कार्रवाई करना अवैध नहीं है, यह विवेक का नियम है जिसका सार्वभौमिक रूप से पालन किया जाता है, जो लगभग कानून के नियम के बराबर है कि किसी सह-अभियुक्त के साक्ष्य पर कार्रवाई करना तब तक असुरक्षित है जब तक कि वह अभियुक्त को फंसाने के लिए भौतिक रूप से पुष्ट न हो जाए; और इसके अलावा एक सह-अभियुक्त के साक्ष्य का उपयोग दूसरे सह-अभियुक्त के साक्ष्य की पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भारत में कानून इस विषय पर इंग्लैंड के कानून के समान ही है, हालांकि विवेक का नियम धारा 114 के उदाहरण ख में "महत्वपूर्ण विवरणों में पुष्टि" वाक्यांश पर न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या पर आधारित कहा जा सकता है।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ***भीवा डोलू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य*** *(1963) 3 एससीआर 830* के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया था:

“धारा 133 और धारा 114 के उदाहरण (ख) का संयुक्त प्रभाव इस प्रकार बताया जा सकता है:

पूर्व के अनुसार, जो कि कानून का नियम है, एक सह-अभियुक्त साक्ष्य देने के लिए सक्षम है और बाद के अनुसार, जो कि व्यवहार का नियम है, केवल उसकी परिसाक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना लगभग हमेशा असुरक्षित होता है। इसलिए, हालांकि सह-अभियुक्त की परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को अवैध नहीं कहा जा सकता है, फिर भी व्यवहार

के तौर पर न्यायालय ऐसे साक्षी के साक्ष्य को भौतिक विवरणों में पुष्टि के बिना स्वीकार नहीं करेंगी।"

49. इसके अतिरिक्त, सीआरपीसी की धारा 306 मुख्य रूप से किसी दंडाधिकारी द्वारा विचारण के किसी भी चरण में साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से क्षमा प्रदान करने से संबंधित है, इस शर्त पर कि जिस व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जा रही है, वह अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों और उससे संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अपनी जानकारी सहित पूर्ण और सही प्रकटीकरण करेगा।

इस मामले में इकबाली साक्षीके कथन पर विचार

50. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क मुख्य रूप से इस आधार पर आधारित है कि इकबाली साक्षी के बयान के अलावा अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, जिसे बाहरी कारणों और परिस्थितियों के तहत प्राप्त किया गया है और इसलिए, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी कानूनी नहीं है जिसे अभियुक्त के खिलाफ़ अभियोगात्मक भी कहा जा सके और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस प्रकार, इस तर्क पर जोर दिया जाता है कि इकबाली साक्षी के बयान पर इस स्तर पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे अभियुक्त के खिलाफ़ कथित अपराध से जोड़ने के लिए अभियोगात्मक नहीं कहा जा सकता है।

51. इस संबंध में, यह न्यायालय नोट करता है कि यह न्यायालय इकबाली साक्षी के कथन या उसके साक्ष्य मूल्य के संबंध में प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि वर्तमान मामले में इसके दुरुपयोग की जांच कर रहा है। इस संबंध में, यह न्यायालय मानता है कि वर्तमान मामले में इकबाली साक्षी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अकेले पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ नहीं की गई थी, जो अन्यथा कानून में स्वीकार्य है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 164(5) के तहत दर्ज किए गए बयान जो दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज किए जाते हैं जो ऐसे बयानों को दर्ज करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसका उल्लेख करने के लिए, इकबाली साक्षी का बयान निम्नलिखित तरीके से दर्ज किया गया है:

> "दं.प्र.सं. की धारा 164(5) के तहत ...X का बयान
>
> बिना शपथ
>
> अभियुक्त/साक्षी को सूचित किया गया है कि वह बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और उसे उचित रूप से आगाह किया गया है कि यदि वह बयान देना चाहता है, तो उसके खिलाफ इसका उपयोग किया जा सकता है।
>
> अभियुक्त ने अभिरक्षा में किसी तरह की यातना की शिकायत नहीं की है। उसे न्यायिक अभिरक्षा द्वारा पेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चेहरे या अन्य किसी जगह पर कोई शारीरिक चोट के निशान नहीं हैं। मैंने उससे लगभग 15 मिनट तक सामान्य रूप से पूछताछ की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह उक्त बयान हेतु स्वेच्छा से है और

उसे सुनने के बाद, मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त/साक्षी स्वेच्छा से बयान दे रहा है। इसलिए मैं बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ूंगा...

सत्यता का प्रमाण पत्र

-एसडी/-"

52. कानून ने दं.प्र.सं. की धारा 164 सहित पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों को पवित्रता प्रदान की है। धारा 50 की संवैधानिक वैधता को माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, हालांकि, इस चुनौती को खारिज कर दिया गया था जैसा कि इस निर्णय के पैरा सं. 42 में उल्लेख किया गया है।

53. इकबाली साक्षी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान में यह भी प्रकटीकरण किया है कि उसने राजनीतिक नेताओं के नामों का प्रकटीकरण नहीं किया है क्योंकि उसे अगस्त 2022 में लंदन में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी श्री विजय नायर ने धमकी दी थी कि उपमुख्यमंत्री या वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह या अन्य बड़े राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जाने से उसे और उसके व्यवसाय को बहुत परेशानी होगी। इस न्यायालय ने नोट किया कि दिनांक 19.07.2023 और दिनांक 26.07.2023 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164(5) के तहत दर्ज किए गए बयानों में, इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने यह भी उल्लेख किया था कि उन्हें विजय नायर द्वारा किसी भी राजनीतिक नेता का नाम न लेने की धमकी दी गई थी और

इसलिए, उन्होंने उनके विशिष्ट नामों का खुलासा नहीं किया था, अर्थात वर्तमान आवेदक और नकद लेनदेन के तथ्य, जिसका खुलासा उन्होंने दिनांक 14.08.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान में किया था। इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि इकबाली साक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि एक अन्य व्यक्ति सरथ रेड्डी के इकबाली साक्षी बनने के बाद, उसने भी सच्चाई का खुलासा करने का साहस जुटाया था, क्योंकि इकबाली साक्षी बनने के बावजूद, सरथ रेड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था।

54. इसलिए, यह तर्क कि इकबाली साक्षी ने वर्तमान आवेदक का नाम किसी धमकी के तहत प्रकट किया था, बिना किसी शिकायत या इकबाली साक्षी द्वारा बयान वापस लिए जाने के, खारिज किया जाना तय है।

55. इकबाली साक्षी किसी भी न्यायालय में यह कहने हेतु आगे नहीं आया है कि दर्ज किए गए बयान किसी बल, दबाव या धमकी के तहत दिए गए थे। इकबाली साक्षी और उसके बयानों को प्रतिपरीक्षा के परीक्षण हेतु रखा जाएगा और बयान के साक्ष्य मूल्य का निर्धारण प्रतिपरीक्षा की मापदंड पर ही किया जाएगा। इसलिए, कानून के अनुसार दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए उस व्यक्ति के बयान को, जो अब इकबाली साक्षी बन चुका है, पहले सह-अभियुक्त या अभियुक्त था, इस आधार पर इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसका बयान विश्वसनीय नहीं है या वर्तमान आवेदक को गलत तरीके से फंसाने के कारण या उद्देश्य हैं।

56. इसलिए, यह न्यायालय ध्यान देता है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान की शुद्धता, जिसे अब इकबाली साक्षी का बयान कहा जाता है, को इस बात पर विचार करने के लिए सीमा पर नहीं छोड़ा जा सकता या उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि क्या अभिलेख पर ऐसी सामग्री है, जो पीएमएलए के मापदंडों के भीतर, जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों के परीक्षण को पास करने के लिए पीएमएलए की धारा 45 के तहत अभियुक्त को जमानत देने के अधिकार से वंचित करेगी।

57. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों को सह-अभियुक्त के साक्ष्य को सावधानी से देखने तथा सह-अभियुक्त द्वारा अभियुक्त को फंसाने के लिए किसी भी प्रोत्साहन पर विचार करने या सह-अभियुक्त के पास उसे फंसाने का कोई उद्देश्य है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए सावधान किया गया है। हालांकि, इस संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के प्रासंगिक चरण में ही विचार किया जाना चाहिए।

58. इकबाली साक्षी की परिसाक्ष्य और उसके साक्ष्य मूल्य के बारे में कानून न तो अस्पष्ट है और न ही अनिश्चित। किसी इकबाली साक्षी के कथन का उद्देश्य इस साक्ष्य को इस बिन्दु पर प्रासंगिक कानून के अधीन स्वीकार करने की अनुमति देना है, जहां न्याय का हित इसके ग्रहण को निर्देशित करता है। हालांकि यह ऐसे साक्ष्य की स्वीकार्यता को चुनौती देने के अभियुक्त के अधिकार को प्रभावित नहीं करता

है। हालांकि, इस पर निर्णय और अंतिम निर्णय कानून और न्यायिक पूर्व निर्णय के तहत निर्धारित विचारण के प्रासंगिक चरण में दिया जाना चाहिए।

59. दोषसिद्धि से बचने के लिए स्वयं का दोष दूसरे पर मढ़ना, जमानत पर विचार के इस चरण में आपराधिक न्याय प्रणाली में असामान्य नहीं हो सकता है। *प्रथम दृष्टया* यह स्पष्ट है कि इकबाली साक्षी को वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध परिसाक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। वर्तमान अभियुक्त को कानून के अनुसार, प्रतिपरीक्षा करके अपने आप को प्रभावी रूप से निरस्त करने के लिए इकबाली साक्षी के बयान के दोषपूर्ण भाग की सत्यता को चुनौती देने का अधिकार होगा।

60. आपराधिक न्याय प्रणाली में विचारण सहित विचारण-पूर्व कार्यवाही के भी स्तर होते हैं। न्यायालय को अधिनियमित कानून के दायरे में रहते हुए दोनों का संचालन करना होता है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मामला केवल इकबाली साक्षी की परिसाक्ष्य पर आधारित है और इसलिए इसका गुणागुण या सत्य रहित होना, पहली नज़र में आकर्षक लगता है, लेकिन जमानत पर विचार करने के चरण में यह विधिक रूप से मान्य नहीं है।

61. क्या इकबाली साक्षी का कथन पक्षपात, दबाव, धमकी, जबरदस्ती आदि के कारण स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने वाली दुर्बलता से ग्रस्त है, यह परीक्षण के दौरान

स्पष्ट और सिद्ध हो जाएगा और इस स्तर पर, अभियुक्त को जमानत देने के लिए साक्ष्य मूल्य की कमी या झूठ का लाभ देने हेतु कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

62. ऐसी स्वीकार्यता के बारे में कानून और वह चरण जब ऐसी स्वीकार्यता की जांच की जा सकती है और उस पर निर्णय लिया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अधिनियमन और इस संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के आधार पर बनाया गया है।

63. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इकबाली साक्षी से स्वतंत्र अन्य साक्षियों के बयान, जो प्रवर्तन निदेशालय के मामले के साथ-साथ इकबाली साक्षी के रुख की पुष्टि करते हैं, जिस पर पिछले पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है। आरोप तिथि, दिन, समय और स्थान के संबंध में विशिष्ट हैं।

V. न्यायालय कानून से बंधा हुआ है, तथा किसी भी याचिकाकर्ता की स्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता

64. याचिका के आधार 'आर' में उल्लेख किया गया है कि आवेदक संदिग्ध व्यक्ति होने का शिकार है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने दिए गए लक्ष्यों को फंसाने के लिए अपनाई गई मानक कार्यप्रणाली है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय लक्षित

व्यक्ति को फंसाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की इच्छा और कल्पना के अनुसार बयान दर्ज करने के लिए अवैध उपायों का उपयोग करता है।

65. इस संबंध में, यह न्यायालय मानता है कि न्यायालय विधि के ढांचे के भीतर काम करते हैं, और इसके निर्णय केवल कानूनी सिद्धांतों और प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा निर्देशित होते हैं, जो याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थीगण की स्थिति या प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका विधि के शासन को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी की स्थिति या प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना, न्यायालय कानून की निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के व्याख्या करने और उसे लागू करने के अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है।

66. कानून की नज़र में, निष्पक्षता बनाए रखना और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वे सार्वजनिक व्यक्ति हों या निजी नागरिक। जबकि सार्वजनिक व्यक्ति प्रभाव डाल सकते हैं या अधिकार के पदों पर आसीन हो सकते हैं, उनके कानूनी अधिकार और दायित्व समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति के समान ही मानकों और सिद्धांतों के अधीन हैं।

67. कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि न्याय को प्रसिद्धि, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही, आदेश केवल राज्य के कहने पर ही पारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि

कानूनी कार्यवाही के माध्यम से पारित किए जाते हैं और परिणाम केवल मामले की गुणागुण और प्रासंगिक कानूनों के आवेदन के आधार पर, पक्षपात या भेदभाव के बिना निर्धारित किए जाते हैं।

<u>निष्कर्ष</u>

68. इस स्तर पर, वर्तमान अभियुक्त/आवेदक के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

i. इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा का बयान, जो सीआरपीसी की धारा 164 और पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देश पर वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई थी। ये धनराशि वर्तमान आवेदक के आधिकारिक आवास पर पहुंचाई गई और आवेदक ने दिनेश अरोड़ा के साथ अपनी अनुवर्ती बैठक में नकद राशि की प्राप्ति की पुष्टि की।

ii. रमन चावला का बयान, जिसने सर्वेश मिश्रा के साथ समन्वय में, दिनेश अरोड़ा के निर्देश पर वर्तमान आवेदक श्री संजय सिंह के आधिकारिक आवास पर 1 करोड़ रुपए की दो अलग-अलग राशि पहुंचाने का खुलासा किया, इस प्रकार, दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि करता है।

iii. कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन विश्लेषण के माध्यम से रमन चावला के बयान की पुष्टि, उसी दिन यानी 17.08.2021 को सर्वेश मिश्रा के स्थान के साथ संरेखण का संकेत देते हुए, जब रमन चावला ने अगस्त, 2021 में 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त देने के लिए वर्तमान अभियुक्त/आवेदक के आधिकारिक आवास का दौरा किया था।

iv. हरिंदर सिंह नरूला और चंदन रेड्डी के बयान, जो अभिषेक बोइनपल्ली से प्राप्त 4 करोड़ रुपए से वर्तमान आवेदक को भुगतान किए गए 1 करोड़ रुपए के स्रोत के बारे में दिनेश अरोड़ा के दावे की पुष्टि करते हैं।

v. पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा, सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा और साक्षी अंकित गुप्ता के बयान, साथ ही 18.06.2020 के एक समझौता ज्ञापन की बरामदगी, जो वर्तमान आवेदक की पिछली 2020-2021 दिल्ली आबकारी नीति को आकार देने में संलिप्तता और कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में अनुकूल खंड पेश करने के बदले में अवैध रिश्वत प्राप्त करने की कथित साजिश और 2020-21 की आबकारी नीति के खंड को बदलने के आश्वासन के साथ उसके आवास और सह-अभियुक्त के आवास पर हुई बैठकों को इंगित करता है। तत्पश्चात, चूंकि वह आबकारी नीति लागू नहीं हो सकी, इसलिए शराब लॉबी के अनुकूल एक अन्य आबकारी नीति तैयार

की गई और अधिसूचित की गई, जिसके तहत वर्तमान आवेदक ने सर्वेश मिश्रा के माध्यम से अपने सरकारी आवास पर 2 करोड़ रुपए की नकद राशि प्राप्त की, जो उसके साथ उसके सरकारी आवास में रह रहा था।

69. जहां तक धन की वसूली का संबंध है, आरोपों को जमानत देने के चरण में नहीं बल्कि तभी साबित किया जाना है जब वाद शुरू होगा और उन साक्षियों के परिसाक्ष्य जिन्होंने धन के भुगतान और उसके तरीके के बारे में बयान दिए हैं, स्पष्ट हो जाएंगे। वर्तमान मामले में, इकबाली साक्षी के बयान के अनुसार, पैसे का भुगतान वर्ष 2021 और 2022 में किया गया था, जबकि बयान दर्ज किया गया था और उक्त के बारे में प्रकटीकरण वर्ष 2023 में किया गया था, और इकबाली साक्षी द्वारा पहले इसका प्रकटीकरण न करने के कारण बताए गए हैं। ऐसे आरोप है कि नकद में भुगतान किए गए पैसे का इस्तेमाल गोवा में पार्टी चुनाव हेतु किया गया था, और इसलिए, पैसे के स्रोत का प्रकटीकरण किया गया है और इस तरह के भुगतान के समय और स्थान सहित विशिष्ट आरोप हैं, कि पैसे कैसे खर्च किए गए थे, इसका प्रकटीकरण विचारण के दौरान किया जा सकता है। इस डिजिटल युग में न्यायालय शायद ही कभी उम्मीद करती हैं कि घूस के रूप में भुगतान की गई रिश्वत या नकदी को ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा ताकि न्यायालय इसका ध्यान रखें।

70. **वर्तमान मामला पहला मामला नहीं है जिसमें इकबाली साक्षी का बयान दर्ज किया गया है, न ही यह अंतिम मामला है। इकबाली साक्षी के बयान दर्ज करने के संबंध में कानून हाल के दिनों में अधिनियमित नहीं किया गया था और इस प्रकार, न्यायिक पूर्व निर्णयों का एक लंबा इतिहास है जो दर्शाता है कि इस कानून का इस्तेमाल इसके अधिनियमित होने के बाद से ही किया जा रहा है और इसे हाल के दिनों में ही अभियुक्तों को झूठे तरीके से फंसाने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है।**

71. इस न्यायालय को न्यायिक पूर्व निर्णयों के मापदंडों के भीतर किसी मामले या विचारण के उचित चरण पर कानून को पढ़ना और लागू करना होगा। न्यायिक पूर्व निर्णयों को सार्वजनिक या निजी व्यक्ति के मामले में नहीं बदला जा सकता। इकबाली साक्षी के बयान, उसके साक्ष्य मूल्य और उचित चरण जिस पर उसे स्वीकार या अस्वीकृत किया जा सकता है, के बारे में कानून न्यायिक पूर्व निर्णयों के अनुसार जमानत का चरण नहीं है।

72. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

73. हालांकि, माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई*** *2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1393* में सह-अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

करते हुए पहले ही कहा है कि सुनवाई शुरू होने के बाद इसे शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। इस मामले में अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है, जो न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय को वर्तमान मामले में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देता है। यह अनिवार्य है कि कानूनी प्रक्रिया तेजी से और कुशलता से आगे बढ़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा हो और बिना किसी देरी के न्याय मिले, बशर्ते कि न तो अभियुक्त के अधिवक्ता और न ही अभियोजन पक्षकार अनावश्यक स्थगन की मांग करेगा।

74. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले के संबंध में ऊपर की गई टिप्पणियां केवल तत्काल आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं, तथा इसे मामले के गुणागुण पर इस न्यायालय की राय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिस पर विचारण के दौरान निर्णय लिया जाएगा।

75. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन का निपटारा किया जाता है।

76. इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए, क्योंकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

77. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

फरवरी 7, 2024/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*